

प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 27.10.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 27.10.2026 को कुल 02 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना-सहसों

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आपराधिक षणयंत्र करने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष का कठिन कारावास व 2,500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सहसों पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 एडीजे-3/ डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठिन कारावास व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना सहसों क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी का ट्रैक्टर सोनालिका साठ-गाँठ कर गायब कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सहसों पर **मु0अ0सं0 16/2017 अंतर्गत धारा 406/120बी भादवि में पंजीकृत किया गया जिसको दौराने विवेचना धारा 392/342/120बी भादवि में तरमीम किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी** द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुए दिये गये निर्देशानुसार थाना सहसों पुलिस टीम, पैरोकार का0 सुखराशि व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र तौमर द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनाँक 26.10.2026 को मु0अ0सं0 16/2017 अंतर्गत धारा 392/342/120बी भादवि में मा0 न्याया0 एडीजे-3/ डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठिन कारावास व 2,500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **संजीव यादव पुत्र विश्राम सिंह नि0 चकरपुर थाना विधूना जनपद औरैया।**